<u>न्यायालय : अति0 सेशन न्यायाधीश, क्रम–1,</u>
<u>जयपुर जिला, जयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : विकास कालेर, आर.जे.एस.
"जिला न्यायाधीश संवर्ग"

फौजदारी अपील संख्या : 03 / 24 (89 / 2014)

एन.सी.वी. नं. : 91 / 24

सी.एन.आर नंबर : RJJD010024082024

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी–प्लॉट नंबर 3, मनु विहार विस्तार, केशव विद्यापीठ, जामडोली, पुलिस थाना कानोता, जयपुर। –अपीलार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, जयपुर

–रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.11.2024 द्वारा न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर, नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 141 / 2017 बउनवानी सरकार बनाम जितेन्द्र सिंह, अन्तर्गत धारा 3 / <u>5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006</u>

<u>उपस्थिति:</u>

1. श्री राजेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी / अभियुक्त की ओर से।
2. श्री गोविन्द सिंह चन्द्रावत, विद्वान अपर लोक अभियोजक,राज्य सरकार की ओर से।

:: निर्णय :: **<u>दिनांक: 03 अगस्त, 2026</u>**

1. अपीलार्थी / अभियुक्त जितेन्द्र सिंह द्वारा यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2024 से व्यथित होकर माननीय सेशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष दिनांक 06.12.2024 को पेश की गई, जो निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रामावतार उपनिरीक्षक ने दिनांक 07.01.2017 को थानाधिकारी, पुलिस थाना लालकोठी, जयपुर (पूर्व)

के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की पेश की कि दिनांक 07.01.2017 को वह मय जाप्ता थाना से समय 05.05 पी.एम पर पुलिस थाना एम.डी रोड़ धन्नादास की बगीची धोबियों का मोड़ गश्त करता हुआ नगर निगम ऑफिस के सामने घाटगेट पहुंचा। जहां पर नगर निगम कार्यालय हवामहल जोन के सामने गेट के दांयी तरफ दीवार पर एक पोस्टर जितेन्द्र सिंह जादौन प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस नव वर्ष व मकर सक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, मोबाईल नंबर 9782333331 लिखा हुआ था, चिपका हुआ मिला। उक्त पोस्टर से लोक प्रदर्शन कर सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण किया गया है.....आदि। जिस पर पुलिस थाना लालकोठी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2017 अंतर्गत धारा 3/5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 3/5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2017 को अभियुक्त को धारा 3/5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त द्वारा उक्त आरोप को सुन व समझ कर उससे इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में गवाह पी.ड.1 रामावतार, पी.ड. 2 रामलाल, पी.ड. 3 हेमन्त सैनी, पी.ड. 4 गोकुल चंद के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–2 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी–3 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी–4 पोस्टर का फोटोप्रिंट, प्रदर्श पी–5 मजमून रिपोर्ट नकल रपट रवानगी को प्रदर्शित कराया गया।

5. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को धारा 313 दंप्रसं. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा अभियुक्त ने बचाव

में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

6. विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर दिनांक 05.11.2024 को निर्णय पारित कर अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को धारा 3/5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 में दोषसिद्ध कर धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम के तहत पांच हजार रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका छः माह की अवधि तक परिशांति व सद्व्यवहार बनाये रखने, सदाचारी बने रहने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने तथा न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर न्यायालय में उपस्थित रहने की शर्तो के साथ रिहा किया गया व अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर पांच सौ रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किया गया।

7. उक्त दोषसिद्धी दिनांक 05.11.2024 से व्यथित होकर हस्तगत अपील अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोद्य, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कालांतर में अंतरित होकर विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

8. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपील मीमो में अपील का आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत है। हस्तगत प्रकरण में परिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, लेकिन इसके बावजूद तथ्यों को नजरदांज करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का युक्तियुक्त विश्लेषण नहीं किया गया है। प्रश्नगत घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। अंत में प्रार्थना की कि अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 05.11.2024 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

9. बहस अपील सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये तर्क दिया कि

विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही विवेचन नहीं करते हुये निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी कर प्रकरण में अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के आरोप में दोषसिद्ध किया है जो दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील स्वीकार फरमायी जाकर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को का विरोध करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व दण्डादेश को सही होना बताया एवं कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील के निर्धारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैः–

> ''आया अपील में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2024 को पारित आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किए जाने योग्य है?''

12. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के विनिश्चय हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य पेश की गई है, उसका अवलोकन करे तो गवाह पी.ड.1 रामावतार जो कि प्रकरण में प्रथम सूचनाकर्ता है, ने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है परन्तु प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह स्पष्ट रूप से कथन करता है कि उसने पोस्टर लगा हुआ देखा, किसी को पोस्टर लगाते हुए नहीं देखा तथा कोई व्यक्ति यद्धि द्वेष भावना के कारण पोस्टर लगा दे तो वह नहीं बता सकता। इसी प्रकार के

कथन अन्य गवाहान पी.ड. 2 रामलाल व पी.ड. 3 हेमन्त ने भी किये हैं। प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 4 गोकुल चंद भी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि जितेन्द्र सिंह द्वारा स्वयं का पोस्टर बैनर लगाया हो, इस बाबत उसने किसी व्यक्ति के बयान नहीं लिये तथा जिन गवाहों के बयान लिए उन गवाहों में से किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि उसने जितेन्द्र सिंह को पोस्टर लगाते हुए देखा था। जिस दीवार पर यह पोस्टर लगा हुआ था, उस दीवार के मालिकाना हक बाबत उसने कोई दस्तावेजी साक्ष्य अनुसंधान में प्राप्त नहीं किया। उसने किसी नगर निगम अधिकारी के बयान नहीं लिये। उपरोक्तानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाए गए समस्त गवाहान एक स्वर में कथन करते हैं कि उनके द्वारा किसी को दीवार पर पोस्टर लगाते हुए नहीं देखा गया है। इस प्रकार मात्र अभियुक्त का पोस्टर दीवार पर लगा हुआ होने से यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि स्वयं अभियुक्त ने वहां पोस्टर चस्पा किया हो। आपराधिक प्रकरण में अभियोजन पक्ष को मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कोई भी गवाह इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है क्योंकि किसी भी गवाह ने स्वयं अभियुक्त को पोस्टर लगाते हुए नहीं देखा तथा जिस स्थान (नगर निगम की दीवार) पर पोस्टर लगाया जाना बताया है, वहां नगर निगम में कार्यरत ऐसे किसी भी कर्मचारी को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है जो यह कथन करता हो कि उनके कार्यालय की दीवार पर अभियुक्त द्वारा पोस्टर लगाया गया था। अभियुक्त का उक्त पोस्टर प्रदर्श पी–4 के रूप में प्रदर्शित हुआ है तथा इस पोस्टर के अवलोकन से जाहिर होता है कि अभियुक्त के अलावा उक्त पोस्टर में अभियुक्त के साथ–साथ अन्य 45 व्यक्तियों की भी फोटो सम्मिलित है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी चश्मदीद साक्षी के अभाव में उक्त पोस्टर लगाये जाने के संदर्भ में मात्र अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में सन्देहास्पद परिस्थितियां प्रकट हुयी हैं, लेकिन विद्वान

विचारण न्यायालय ने इन सन्देहास्पद परिस्थितियों पर विचार नहीं किया। अभियोजन पक्ष अपना मामला विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है, लेकिन इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 3/5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के आरोप में दोषसिद्ध किया है, जो मामले में प्रस्तुत साक्ष्य व परिस्थतियों के मद्देनजर न्यायोचित नहीं पाया जाता है। लिहाजा, विद्वान विचारण न्यायालय का अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 3/5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के आरोप में दोषसिद्धी का निर्णय दिनांक 05.11.2024 अपास्त किये जाने व अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

13. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील विरूद्ध प्रत्यर्थी स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–2 जयपुर जिला, जयपुर द्वारा उनके मूल दाण्डिक प्रकरण संख्या–141/2017, बउनवानी राजस्थान राज्य बनाम जितेन्द्र सिंह में दिनांक 05.11.2024 को अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 3/5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के अपराध के अंतर्गत किये गये दोषसिद्धि के निष्कर्ष को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/5 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अपीलार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के इस न्यायालय में उपस्थिति बाबत पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

15. विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णय दिनांक 05.11.2024 की अनुपालना में धारा–5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियोजन व्यय के रूप में जो राशि जमा करवाई गई है, वह उसे नियमानुसार लौटा दी जावे।

16. अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के प्रावधानों के अन्तर्गत बीस हजार रूपये

का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत इस आशय की पेश करे कि इस निर्णय के विरूद्व अपील/याचिका होने पर एवं उसको नोटिस प्राप्त होने पर वह माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात हो जाएगा।

17. इस निर्णय की एक सत्य प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2 जयपुर जिला, जयपुर की दाण्डिक पत्रावली संख्या संख्या–141/2017, बउनवानी राजस्थान राज्य बनाम जितेन्द्र सिंह अविलम्ब विचारण न्यायालय को लौटायी जावे।

(विकास कालेर)
अति. सेशन न्यायाधीश, क्रम–1,
जयपुर जिला, जयपुर।

18. यह निर्णय आज दिनांक 03 अगस्त, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(विकास कालेर)
अति. सेशन न्यायाधीश, क्रम–1,
जयपुर जिला, जयपुर।